

1688/67 7

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 276451



विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - रु0 4,39,461/-
बाजार मूल्य - रु0 2,43,250/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प- रु0 44,000/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - लखनऊ
3. ग्राम - अहमामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 1079 रकबा

मोहन कुसुमा

शतेन्द्र कुमार



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

भारतीय नैऋ न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 276450

-2-

0.278 हे० का 1/2 भाग अर्थात्
बिक्रीत रकबा 0.139 हे० स्थित
ग्राम- अहमामऊ, परगना तहसील व
जिला लखनऊ।

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 5. | मापन की ईकाई | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.139 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से
लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि |
| 9. | पेड़ों की स्थिति | - | नहीं |
| 10. | बोरिंग/ कुआं अन्य | - | कुछ भी नहीं है। |

सोम प्रो. कुसुमा

सोम प्रो. कुसुमा



भारतीय नैऋत्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 276443

- 3 -

चीहददी खसरा नं० 1079

उत्तर : चकरीड
दक्षिण : खसरा नं०-1080,222
पूरब : खसरा नं०-790
पश्चिम : खसरा नं०-1078,1077

प्रथम पक्ष की संख्या- 3 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

| विक्रेतागण का विवरण | क्रेता का विवरण |
|--|---|
| 1. सोनू 2. मोनू पुत्रगण स्व० श्रीकेशन 3. श्रीमती कुसभा | सतेन्द्र पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम भिर्जापुर भिटारी पो० नौगाँव, तहसील |

सोनू मोनू कुसभा

सतेन्द्र



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 276439



-4-

| | |
|--|-----------------|
| देवी पत्नी स्व० श्रीकेशन
निवासीगण ग्राम अहमामऊ
परगना तहसील जिला
लखनऊ। | व जिला फतेहपुर। |
| व्यवसाय- कृषि | व्यवसाय- कृषि |

यह विक्रय विलेख 1. सोनू 2. मोनू पुत्रगण श्रीकेशन 3. श्रीमती कुसमा देवी पत्नी स्व० श्रीकेशन निवासीगण ग्राम अहमामऊ परगना तहसील जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् सतेन्द्र पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगोंद, तहसील व

सोनू मोनू कुसमा

सतेन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 276440



- 5 -

जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 1079 रकबा 0.278 हे० का 1/2 भाग अर्थात् बिक्रीत रकबा 0.139 हे० स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ। का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौची नम संख्या 00037 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम

सोनी मोहन कुमार

सोनी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत
संयुक्त राज्य
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 313184

- 6 -

का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण

श्री श्री कुरु

सेते

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 313185



- 7 -

या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 4,39,461/- के प्रतिफल में जिसका

सौ. मो. क. सुभा

अ. २



1

2

3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 313186

- 8 -

उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने

सौदा प्रोच कृष्ण

सतेन्द्र


$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{for } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या

मान मोहन कुमार

सह-द

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

सौ. मो. २५२॥

सह. २५

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 11 -

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

सोनी गैस कं. २५८॥

सैत-६

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 12 -

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 17,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.139 हेक्टेअर की कुल मालियत 2,43,250/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 44,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं

सिद्ध मोह १३/२/११

सिद्ध

चल रही है व कोई नलकूप, नुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण सोनू को रु० 1,46,487/- द्वारा चेक संख्या-410740 दिनांकित 17.02.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।
2. विक्रेतागण मोनू को रु० 1,46,487/- द्वारा चेक संख्या-410741 दिनांकित 17.02.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।
3. विक्रेतागण श्रीमती कुसमा देवी को रु० 1,46,487/- द्वारा चेक संख्या-410742 दिनांकित 17.02.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

सोनू मोनू कुसमा

सही-हूँ

439,461.00/ 244,000.00

प्रतिफल मालियत
श्री/श्रीमती सोनू
पुत्र/पत्नी श्री स्व.श्रीकेशन
पेशा कृषि

निवासी स्थायी ग्राम अहमामऊ पर.तह.व जि.लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 19/2/2007

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

सोनू

सोनू

विक्रम पत्र

5,000.00

20

5,020.00

1,000

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग



ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

19/2/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती सोनू
पुत्र/पत्नी श्री स्व.श्रीकेशन
पेशा कृषि
निवासी ग्राम अहमामऊ पर.तह.व जि.लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती सतेन्द्र
पुत्र/पत्नी श्री रामसजीवन
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो.नौगांव जि.फतेहपुर



श्री/श्रीमती मोनू
पुत्र/पत्नी श्री स्व.श्रीकेशन
पेशा कृषि
निवासी ग्राम अहमामऊ पर.तह.व जि.लखनऊ

मोनू

श्री/श्रीमती कुसुमा देवी
पुत्र/पत्नी श्री स्व.श्रीकेशन
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम अहमामऊ पर.तह.व जि.लखनऊ

कुसुमा देवी



इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 4,39,461/- (रुपया चार लाख उन्तालिस हजार चार सौ इकसठ मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ:

दिनांक : 17.02.2007

गवाह :-

1. क्रेता की पहचान की

पं. राज ठाकुर

S/o - हरि शंकर ठाकुर
अपार्टमेंट कांस्ट्रक्शन
लखनऊ

2. विक्रेता पहचान की

राज ठाकुर S/o ग. प्र. ठाकुर

अपार्टमेंट कांस्ट्रक्शन
लखनऊ

टाईपकर्ता

(मो. कुमार)

सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

सौ. मो. सु. वि. क्रेता

मो. सु. वि. क्रेता

क्रेता

क्रेता

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री पंकज पाठक

पुत्र श्री हरि शंकर पाठक

पेशा व्यापार

निवासी जयहिन्द कॉम्पलेक्स, लखनऊ

व श्री राजीव पाल राजीव पाल

पुत्र श्री मदन मोहन

पेशा व्यापार

निवासी सरसवां लखनऊ

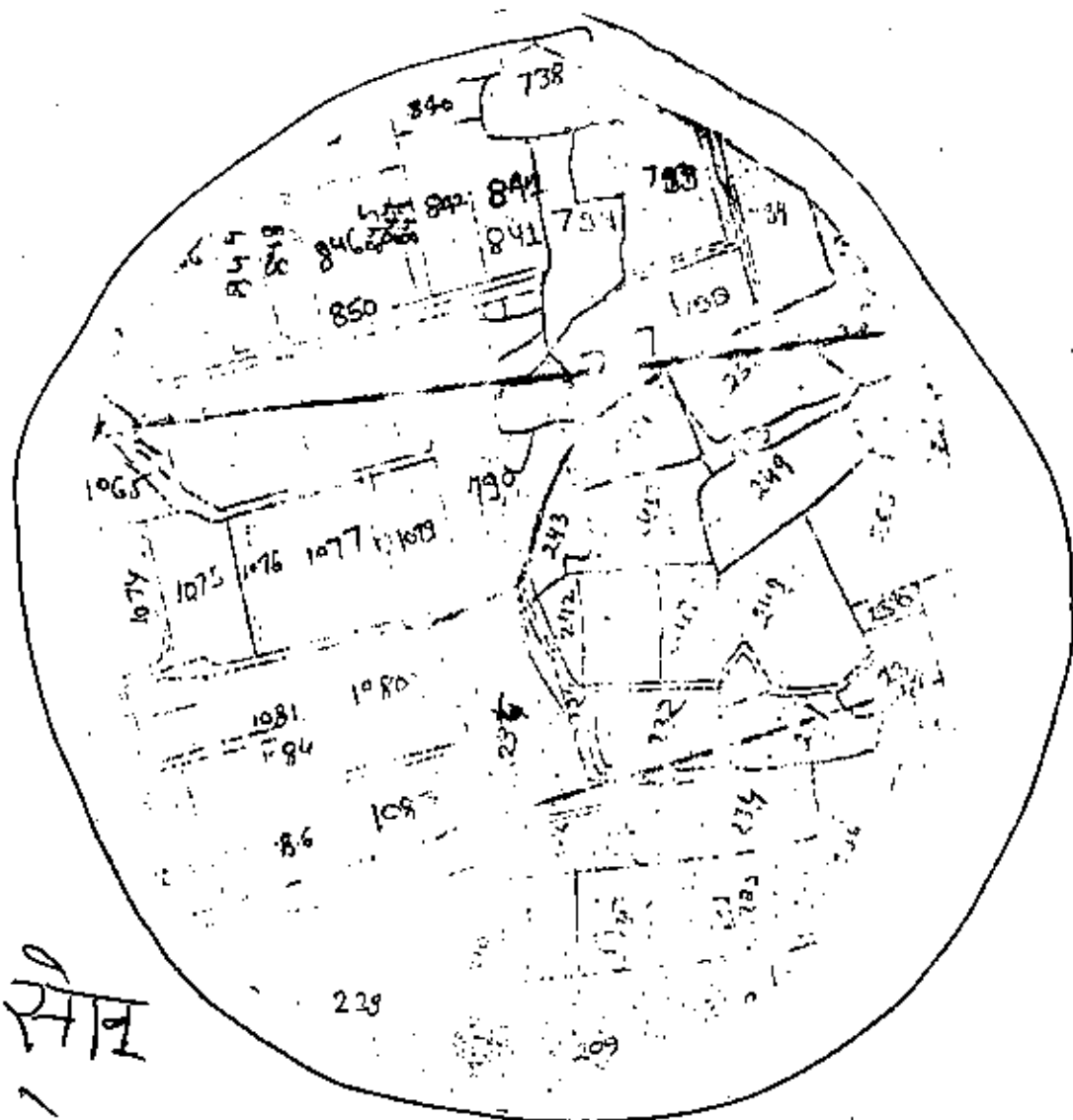
ने की ।

प्रत्यक्षता भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।



ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
19/2/2007

ग्राम अहमामेके परगना के तहसील के
खसरा नं. 1019
रकबा



सौ
श्री
कृष्ण
विश्वना

श्री
महेश्वर

विक्रेता

Registration No 1683

Year : 2007

Book No. 1

0101 सोनू

स्व. श्रीकेशन

ग्राम अहमामऊ पर. तह. व जि. लखनऊ

कृषि



0102 मोनू

स्व. श्रीकेशन

ग्राम अहमामऊ पर. तह. व जि. लखनऊ

कृषि



0103 कुसुमा देवी

स्व. श्रीकेशन

ग्राम अहमामऊ पर. तह. व जि. लखनऊ

गृहिणी



दूशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :-

श्री 110 डी हगग/डी
बि०-२५

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

श्री 110 डी हगग/डी
बि०-२५

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



श्री 110
विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 1683

Year : 2007

Book No. 1

0201 सतेन्द्र

रामसजीवन

ग्राम मिर्जापुर गिटारी पो.नीगांव जि.फतेहपुर

ज्याधार



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगरप्रिन्ट्स

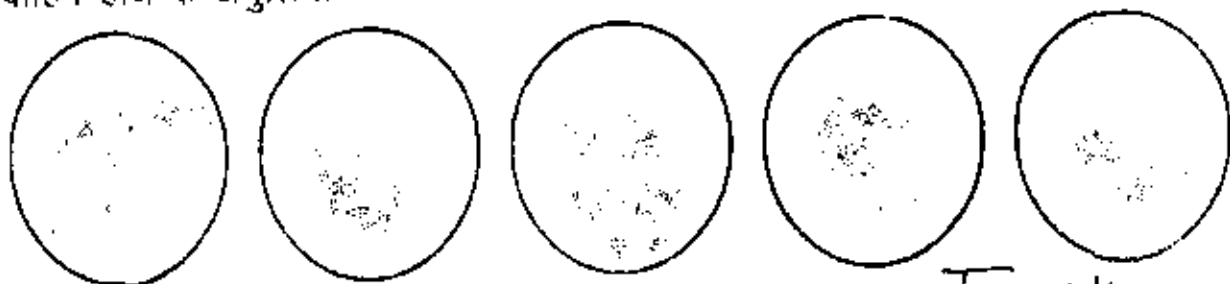
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :-

श्री अरुण कुमार झा नि.
अस्थायिक राबल-ए

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



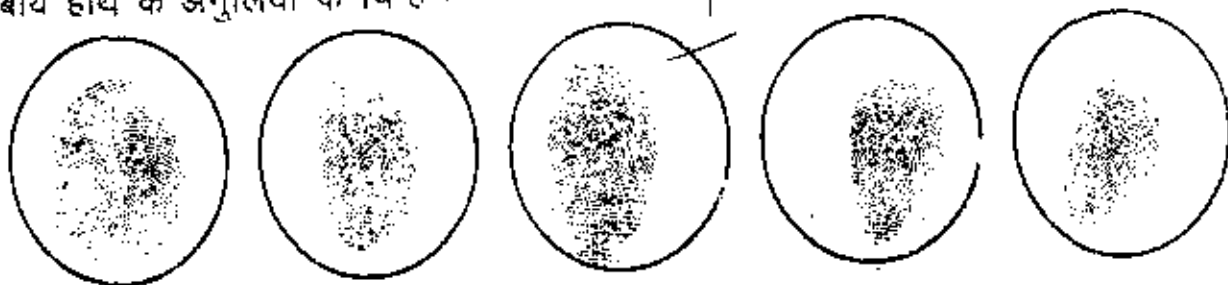
दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

क सुभा
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



शतेन्द्र
विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 19/02/2007 को
वर्ही सं 1 जिल्द सं 6404
पृष्ठ सं 297 से 330 पर क्रमांक 1683
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
19/2/2007